इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की 118वीं बोर्ड बैठक आयुक्त,इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिये गयेः–

नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित 42 तालाबों में से सर्वेक्षित 25 तालाबों के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं अवशेष 17 तालाबों के भूमि का सर्वेक्षण कराते हुए इनके विकास का प्रस्ताव 15 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित आवासीय कालोनियों में महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन लागू किये जाने विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में 12 मी0 व उससे अधिक चौड़े मार्गों पर भवन उपविधि के मानकों के अनुरूप गैर आवासीय क्रियाओं को लागू करने के सम्बन्ध में सैद्धॉतिक रूप से सहमति प्रदान करते हुए औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिये गये। मॉडल बिल्डिंग बाइलॉज–2016 में संशोधन प्रस्ताव को अंगीकृत करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किया गया।(क)– भवन उपविधि में संशोधन के मुख्यतः निम्न प्राविधान हैंः–व्यावसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य मानचित्र निर्माण अनुज्ञा भी 90 दिनों के बजाय 30 दिनों में निर्गत किये जायें।(ख)– 500 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों में कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूखण्ड के प्रवेश द्वार के समीप भूतल पर दो प्रकार के (Biodegradable and non- biodegradable) डस्टबिन की व्यवस्था की अनिवार्य होगी।(ग)– 5000 वर्ग मी0 से 1,50,000 वर्ग मी0 बिल्ट–अप क्षेत्रफल वाले भवनों में पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टिगत पर्यावरण शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्राप्त न होने पर भी शर्तों के साथ मानचित्र निर्गत किये जा सकेंगे। (घ)– प्लीन्थ लेवल पर प्रत्येक निर्माणों की जॉच की जायेगी तथा यदि कोई विचलन है तो उसे उसी स्तर पर ठीक कराया जायेगा। (ड.)– उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कालोनियों में अवैध निर्माण को सीलबन्द करने का अधिकार अधिशाषी अभियन्ता, आवास विकास परिषद को प्रतिनिधानित किया गया। जनपद इलाहाबाद, तहसील–फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम कनिहार स्थित तालाब एवं अंदावा स्थित तालाब क्षेत्रफल 65 हे0 भू–भाग पर city forest lake के रूप में विकसित कर पर्यटन के रूप में विकसित करने हेतु समिति बनाये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें आयुक्त इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद–अध्यक्ष, जिलाधिकारी, इलाहाबाद– सदस्य, उपाध्यक्ष,इलाहाबाद विकास प्राधिकरण–सदस्य/सचिव, प्रभागीय वनाधिकारी, इलाहाबाद, मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, इलाहाबाद, उपजिलाधिकारी–फूलपुर एवं ग्राम प्रधान ग्राम–कनिहार एवं अंदावा–सदस्य नामित किये गये। जनपद में लोगों की वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कर आवासीय योजना विकसित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण में विचाराधीन अवशेष प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। प्राधिकरण की योजनाओं में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी। कालिन्दीपुरम आवास योजना में भूखण्ड संख्या–01 क्षेत्रफल 682.50 वर्ग मी0 को पूर्व सैनिक कल्याण

निगम लि0 के पक्ष में कार्यालय प्रयोग हेतु आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 के लिए बस डिपो हेतु भूमि चयन पर सहमति व्यक्त क गयी। जनपद इलाहाबाद के समेकित पर्यटन विकास की प्रस्तावित योजनाओं भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी। एस0टी0पी0 निर्माण हेतु गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई,इलाहाबाद को फाफामऊ, नैनी एवं कालिन्दीपुरम में भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

(अजय कुमार अवस्थी)
सचिव

प्रतिलिपिः—

1. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव